नियमावली

1.संस्था का नाम : श्री शक्ति एल्युमिनी एसोसिएशन ।

2.संस्था का पता : श्री शक्ति डिग्री कालेज, सॉँखाहरी, घाटमपुर, कानपुर नगर-209206

3.संस्था का कार्यक्षेत्र-समस्त उत्तर प्रदेश ।

4.संस्था के उद्देश्य- स्मृति पत्र के अनुसार होगें ।

5.संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :

वह व्यक्ति जो संस्था के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण विश्वास एवं आस्था रखता हो तथा संस्था के नियमों का पालन करने के प्रति वचनबद्ध हो उम्र से बालिग हो तथा भारतीय नागरिक हो एवं पूर्व छात्र एवं छात्रा हो वह संस्था का सदस्य प्रबन्धसमिति की संस्तुति से बनाया जायेगा ।

आजीवन सदस्य :संस्था को पॉच हजार एक रु.नगद या इससे अधिक मूल्य की चल-अचल सम्पत्ति दान स्वरुप प्रदान करने वालों को संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेंगा ।

विशिष्ट सदस्य -

सरकार द्वारा सम्मानित,उपाधि प्राप्त विद्वानों,सांसदों,विधायकों एवं समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों, पत्रकारिता से सम्बन्धित व्यक्तियो को संस्था का विशिष्ट सदस्य बनाया जायेंगा,मताधिकारी नही होगें,सदस्यता शुल्क से मुक्त रहेगें ।

सामान्य सदस्य -

संस्था को प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर अप्रैल माह में रुपया 100/- नगद शुल्क प्रदान करने वालों को संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा ।

.सदस्यता की समाप्ति -

मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर, किसी गम्भीर रोग से पीड़ित होने पर, किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर,संस्था के नियमों का पालन न करने पर, निर्धारित सदस्यता शुल्क न अदा करने पर,संस्था के विरूद्ध प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुप से कार्य करने पर, लगातार तीन बैठकों में बिना किसी स्पष्ट कारण के अनुपस्थित रहने पर, त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सदस्यता समाप्त कर दी जायेंगी ।

गौर कृष्ण अग्निहोत्री

अमरेन्द्र मिश्रा

आलोक शर्मा

नियमावली

1.संस्था का नाम : श्री शक्ति एल्युमिनी एसोसिएशन ।

2.संस्था का पता : श्री शक्ति डिग्री कालेज, सौंखाहरी, घाटमपुर, कानपुर नगर-209206

3.संस्था का कार्यक्षेत्र-समस्त उत्तर प्रदेश ।

4.संस्था के उद्देश्य- स्मृति पत्र के अनुसार होगें ।

5.संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :

वह व्यक्ति जो संस्था के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण विश्वास एवं आस्था रखता हो तथा संस्था के नियमों का पालन करने के प्रति वचनबद्ध हो उम्र से बालिग हो तथा भारतीय नागरिक हो एवं पूर्व छात्र एवं छात्रा हो वह संस्था का सदस्य प्रबन्धसमिति की संस्तुति से बनाया जायेगा ।

आजीवन सदस्य :संस्था को पाँच हजार एक रु.नगद या इससे अधिक मूल्य की चल-अचल सम्पत्ति दान स्वरुप प्रदान करने वालों को संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेंगा ।

विशिष्ट सदस्य -

सरकार द्वारा सम्मानित,उपाधि प्राप्त विद्वानों,सांसदों,विधायकों एवं समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों, पत्रकारिता से सम्बन्धित व्यक्तियो को संस्था का विशिष्ट सदस्य बनाया जायेंगा,मताधिकारी नही होगें,सदस्यता शुल्क से मुक्त रहेगें ।

सामान्य सदस्य -

संस्था को प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर अप्रैल माह में रुपया 100/- नगद शुल्क प्रदान करने वालों को संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा ।

.सदस्यता की समाप्ति -

मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर, किसी गम्भीर रोग से पीड़ित होने पर, किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर,संस्था के नियमों का पालन न करने पर, निर्धारित सदस्यता शुल्क न अदा करने पर,संस्था के विरूद्व प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुप से कार्य करने पर, लगातार तीन बैठकों में बिना किसी स्पष्ट कारण के अनुपस्थित रहने पर, त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सदस्यता समाप्त कर दी जायेंगी ।

गौर कृष्ण अग्निहोत्री

अमरेन्द्र मिश्रा

आलोक शर्मा

13.सचल चिकित्सा की व्यवस्था करना इस हेतु सचल चिकित्सा(मोबाइल डिस्पेन्सरीज) की स्थापना करना ।

14.दैवीय आपदाओं व प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, सूखा आदि से पीड़ित जनता के मध्य राहत शिविरों का आयोजन कर पीड़ितों को निःशुल्क चिकित्सा साम्रग्रियो का वितरणव चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना ।

15.अपने स्वजनों एवं बन्धु बान्धवों द्वारा परित्यक्त एंव तिरस्कृत वृद्वजनों की सुख एवं शान्तिमय जीवन के लिए सेवाभाव का कार्य करना ।

16.संस्था की समस्त प्रकार की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं उद्देश्यों का प्रचार प्रसार करना

5.प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम,पिता/पति का नाम पता,पद एवं व्यवसाय जिनकों संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया हैं–

क0सं0 नाम,पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री विश्वनारायण	ग्रा.पो.कोरियाँ, घाटमपुर, कानपुर नगर ।	अध्यक्ष	नौकरी
2.श्री आलोक शर्मा पुत्र श्री ए0पी0शर्मा	आई.बी.–।।, रेलवे कालोनी गोविन्द नगर, कानपुर ।	सचिव	नौकरी
3.श्री ललित कुमार पुत्र श्री राम आतौर	ग्रा.लौली,पो. हरबसपुर, घाटमपुर, कानपुर नगर ।	उपाध्यक्ष	शिक्षा गृहण
4.श्री अनुराग शुक्ला पुत्र श्री बृजेश कुमार	पशुपति नगर, नौबस्ता कानपुर नगर ।	कोषाध्यक्ष	शिक्षागृहण
5.श्री महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 छेदा लाल	ग्रा.साँखाहरी,पो.हरवसपुर घाटमपुर, कानपुर नगर ।	सदस्य	नौकरी
6.श्री अमरेन्द्र मिश्रा पुत्र श्री राधवेन्द्र मिश्र	जे–519, बर्रा विश्व बैंक कालोनी, कानपुर ।	सदस्य	शिक्षा गृहण
7.श्री गौर कृष्ण अग्निहोत्री पुत्र श्री शिव बिहारी अग्निहोत्री	ग्राम व पोस्ट बरीमहतैन घाटमपुर, कानपुर नगर ।	सदस्य	शिक्षा गृहण
8.श्री स्वदेश कुमार पुत्र श्री महावीर	ग्रा.साँखाहरी, पो.हरबसपुर घाटमपुर, कानपुर नगर ।	सदस्य	शिक्षा गृहण
9.श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री रामलाल	ग्रा.साँखाहरी, पो.हरबसपुर घाटमपुर, कानपुर नगर ।	सदस्य	नौकरी

गौर कृष्ण अग्निहोत्री
अमरेन्द्र मिश्रा
आलोक शर्मा
Anurag Shukla

6.हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त स्मृति पत्र के आधार पर संस्था को सोसाइटी रजि0 अधिनियम की संख्या 21 सन् 1860 के तहत पंजीकृत कराना चाहतेंहैं

दिनांक –

हस्ताक्षर–

1.श्री अरविन्द कुमार	
2.श्री आलोक शर्मा	आलोक शर्मा
3.श्री ललित कुमार	ललित कुमार
4.श्री अनुराग शुक्ला	Anurag Shukla
5.श्री महेन्द्र कुमार	
6.श्री अमरेन्द्र मिश्रा	अमरेन्द्र मिश्रा
7.श्री गौर कृष्ण अग्निहोत्री	गौर कृष्ण अग्निहोत्री
8.श्री स्वदेश कुमार	
9.श्री कमलेश कुमार	

नियमावली

1.संस्था का नाम : श्री शक्ति एल्युमिनी एसोसिएशन ।

2.संस्था का पता : श्री शक्ति डिग्री कालेज, साँखाहरी, घाटमपुर, कानपुर नगर-209206

3.संस्था का कार्यक्षेत्र-समस्त उत्तर प्रदेश ।

4.संस्था के उद्देश्य- स्मृति पत्र के अनुसार होगें ।

5.संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :

वह व्यक्ति जो संस्था के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण विश्वास एवं आस्था रखता हो तथा संस्था के नियमों का पालन करने के प्रति वचनबद्ध हो उम्र से बालिग हो तथा भारतीय नागरिक हो एवं पूर्व छात्र एवं छात्रा हो वह संस्था का सदस्य प्रबन्धसमिति की संस्तुति से बनाया जायेगा ।

आजीवन सदस्य :संस्था को पाँच हजार एक रू.नगद या इससे अधिक मूल्य की चल-अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्रदान करने वालों को संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।

विशिष्ट सदस्य -

सरकार द्वारा सम्मानित,उपाधि प्राप्त विद्वानों,सांसदों,विधायकों एवं समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों, पत्रकारिता से सम्बन्धित व्यक्तियो को संस्था का विशिष्ट सदस्य बनाया जायेंगा,मताधिकारी नही होगें,सदस्यता शुल्क से मुक्त रहेगें ।

सामान्य सदस्य -

संस्था को प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर अप्रैल माह में रुपया 100/- नगद शुल्क प्रदान करने वालों को संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा ।

.सदस्यता की समाप्ति -

मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर, किसी गम्भीर रोग से पीड़ित होने पर, किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर,संस्था के नियमों का पालन न करने पर, निर्धारित सदस्यता शुल्क न अदा करने पर,संस्था के विरूद्ध प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुप से कार्य करने पर, लगातार तीन बैठकों में बिना किसी स्पष्ट कारण के अनुपस्थित रहने पर, त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सदस्यता समाप्त कर दी जायेंगी ।

गौरि कृष्ण अग्निहोत्री

अमरेन्द्र मिश्रा

आलोक शर्मा

7.संस्था के अंग–संस्था के दो अंग होगें ---

अ.साधारण सभा ।

ब.प्रवन्धकारिणी समिति ।

8.साधारण सभा :अ.गठन –

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिला कर किया जायेगा ।

ब.बैठकें–सामान्य व विशेष

साधारण सभा की सामान्य बैठकों को वर्ष में एक बार व विशेष बैठकों को आवश्यकतानुसार कभी भी अध्यक्ष के अनुमोदन पर अथवा 2/3 सदस्यों की लिखित मॉग पर सचिव द्वारा बुलायी जायेंगी।

स.सूचना अवधि–

साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठकों की सूचना 3 दिन पूर्व देकर के बुलायी जायेंगी ।

द.गणपूर्ति–

साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्य संख्या की 2/3 सदस्यों की उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक होगी किन्तु कोरम के अभाव में स्थगित बैठको को दो घंटे बाद पुनः आहूत करने पर कोरम 1/3 होगा लेकिन एजेण्डा के विषय पूर्ववत ही बनें रहेंगें ।

य.विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर किया जायेंगा, जिसकी तिथि, समय व स्थान प्रबन्धसमिति द्वारा तय कर लिया जायेंगा ।

र.साधारण सभा के कर्तव्य :

1.प्रवन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।

2.वार्षिक आय व्यय बजट पारित करना ।

3.नियमों व विनियमों में 2/3 के बहुमत से संशोधन कार्यवाही करना ।

अमिरेन्द्र मिश्रा   गौर कृष्ण भमिटोवी

Anurag Shukla

[illegible] कुमार   आलोक शर्मा

9.प्रबन्धकारिणी समिति :

अ.गठन –

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा की बैठक में चुनाव द्वारा बहुमत के आधार पर किया जायेंगा, जिसमें-एक अध्यक्ष, एक-उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होगें इस प्रकार कुल 7 व्यक्तियो की प्रबन्धकारिणी समिति होगी । कार्यकारिणी सदस्यो की संख्या आवश्यकतनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है । प्रबन्धसमिति के पदाधिकारी ही साधारण सभा व संचालित केन्द्रों के पदाधिकारी होगे ।

ब.बैठकें – सामान्य व विशेष

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों को वर्ष में दो बार व विशेष बैठकों का आवश्यकतानुसार कभी भी सूचना देकर के बुलाया जायेंगा । बैठक बुलाने व उनकी सूचनाओ को प्रसारित करने का अधिकार सचिव को होगा ।

स.सूचना अवधि –प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठकों को 24 घंटे पूर्व की सूचना देकर के बुलाया जायेंगा ।

द.गणपूर्ति –प्रबन्धकारिणी समिति की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्य संख्या की 2/3 सदस्यों की उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक होगी, किन्तु स्थगित बैठकों का कोरम 1/3 होगा ।

य.रिक्त स्थानों की पूर्ति :प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति साधारण सभा की बैठक में चुनाव द्वारा बहुमत के आधार पर शेष कार्यकाल के लिए कर ली जायेंगी ।

र.कार्यकाल –प्रवन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा

ल.प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :

1.संस्था का प्रबन्धकार्य नियमानुसार सम्पादित व संचालित करना ।

2.वार्षिक प्रगति रिर्पोट प्रकाशित करना तथा वार्षिक कार्यकमो की रुपरेखा तैयार कर उनको लागू करना ।

3.संस्था के विवादों को सुलझाना ।

अमरेन्द्र मिश्रा
आलोक शर्मा
गौर कृष्ण अग्निहोत्री
Anurag Shukla

4.उपसमितियों व उपनियमों को बनाना और उनके लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति करना ।

5.उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्मेलनों,विचार गोष्ठियों एवं सेमीनारों का आयोजन करना एवं केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, वित्तीय संस्थाओं, संस्थानों, दान, दाताओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, प्राइवेट सेक्टरो, नागरिकों से आर्थिक सहायता, अनुदान, दान, चन्दा, चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना ।

10.प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

अ. अध्यक्ष–

1.सभी प्रकार की बैठकों एवं सभाओं की अध्यक्षता करना ।

2.प्रस्ताव आदि रखने की अनुमति प्रदान करना ।

3.बैठकों आदि की तिथियों का अनुमोदन व परिवर्तन करना ।

4.प्रबन्धसमिति द्वारा अनुमोदित त्यागपत्रो को स्वीकार करना ।

5.सामान मत होने पर अपने एक निर्णायक मत का प्रयोग करना ।

ब. सचिव–

1.संस्था द्वारा केन्द्रों एवं सामाजिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर नियमानुसार सम्पादित व संचालित करना ।

2.लिपिकों/प्रशिक्षकों/चपरासी/कर्मचारियों/आदि की नियुक्ति,निलम्बन,पदोन्नति वेतन वितरण वेतन वृद्धि एवं पदच्युत करना

3.समस्त बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना ।

4.संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति एवं अभिलेखों पर नियंत्रण रखना

5.संस्था की ओर से आवेदन पत्रों,बन्धक विलेखों आदि को भरना उन पर हस्ताक्षर करना ।

6.संस्था की ओर से समस्त भुगतानपत्रों एवं बैनामों आदि पर हस्ताक्षर करना ।

7.समस्त स्थाफ की चरित्र पंजिकायें रखना उनमें कार्य के आधार पर अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रविष्ट तैयार करना कारण बताओं नोटिस जारी करना पृथक या निलम्बित करना ।

8.संस्था की ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन करना ।

9.उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान,अनुदान,ऋण चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उपलब्ध कराना ।

10.सभी प्रकार की बैठकों को संचालित करना तथा कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करना ।

अमरेन्द्र मिश्रा गौर कृष्ण अग्निहोत्री

आलोक शर्मा

कमलेश कुमार

11.वार्षिक बजट साधारण सभा द्वारा पारित कराना तथा वार्षिक प्रगति रिर्पोट तैयार कर प्रबन्धसमिति के समक्ष प्रस्तुत करना ।

12.संस्था की ओर से सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना ।

13.प्रबन्धसमिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना ।

स. उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों को वरिष्ठताक्रम के अनुसार सम्पादित व संचालित करना तथा सामान्य स्थिति में उसका सहयोग करना

द. कोषाध्यक्ष–

1.वार्षिक आय व्यय का विवरण तैयार करना ।

2.आय व्यय सम्बन्धित अभिलेखो को लिपिबद्ध करना ।

3.सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उनको उसकी रसीदे देना ।

4.प्रबन्धसमिति द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करना ।

11.संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया –

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन,परिवर्तन,परिवर्धन साधारण सभा की बैठक में 2/3 सदस्यों के बहुमत से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 12 एवं 4'क' के अनुसार किया जायेंगा ।

12.संस्था का कोष –

संस्था के समस्त कोष को किसी राष्ट्रीयकृत/प्राइवेट बैंक में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा कोष का संचालन संस्था के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरो से किया जायेगा ।

आय के श्रोत– 1.सदस्यता शुल्क द्वारा
2.सरकारी गैर सरकारी अनुदान
3.दान व चन्दा से
4.अन्य मदो से

13.संस्था का लेखा परीक्षण–

संस्था के समस्त आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर संस्था द्वारा नियुक्त किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेंगा ।

गौर कृष्ण अग्निहोत्री

अमरेन्द्र मिश्रा

आलोक शर्मा

14.संस्था द्वारा या उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व–संस्था द्वारा या उसके विरूद्ध समस्त प्रकार के वाद विवाद की अदालती कार्यवाही संचालन संस्था के सचिव द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत योग्य अधिवक्ता द्वारा की जायेंगी तथा समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही का न्याय क्षेत्र जिला कानपुर नगर ही होगा ।

15.संस्था के अभिलेख –अ.सदस्यता रजिस्टर ।

ब.कार्यवाही रजिस्टर । स.एजेण्डा रजिस्टर । द.कैश बुक एवं लेजर ।

य.वाउचर फाइल व अन्य समय समय पर आवश्यकतानुसार ।

16.संस्था का विघटन –

संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसा0रजि0अधिनियम की धारा 13 व 14 के अर्न्तगत की जायेंगी ।

सत्यप्रतिलिपि

दिनांक–

हस्ताक्षर –

आलोक शर्मा

Anurag Shukla

अमरेन्द्र मिश्रा

गौर हरण अग्निहोत्री